

ACTION TAKEN REPORT

Ref: Action taken report in compliance to the order of Hon'ble NGT order dated 04.01.2024 in the matter of OA 146/2023 (CZ) Mr. Pratap Vaare Vs. State of M.P. & Others.

Hon'ble NGT issued following instructions on dated 04.01.2023 in the matter of OA 146/2023 (CZ) Mr. Pratap Vaare Vs. State of M.P. & Others. :-

4. *State Pollution Control Board is directed to finalise the recommendations of the committee with regard to environmental compensation and report about the deposit of the environment compensation amount.*

In reference to the above order dated 04.01.2024 by Hon'ble NGT, following actions are taken by MPPCB:

Action Taken By MPPCB:-

- 1) Notices regarding imposition of environmental compensation on the residential complexes were issued on dated 16.02.2024. The residential complexes are M/s The Prospera Multi Storied Building, M/s Palmcrest, M/s Priyadarshini Grah Nirman Sahakari Samiti, M/s Gulabi Nagar Grah Nirman Sahakari Sansthan located in ward 53, Bagmugaliya, Bhopal. The notices are enclosed as **Annexure I**.

- 2) Legal action has been initiated to file court cases for violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act' 1974 against the residential complexes / colonies namely M/s The Prospera Multi Storied Building, M/s Palmcrest, M/s Priyadarshini Grah Nirman Sahakari Samiti, M/s Gulabi Nagar Grah Nirman Sahakari Sansthan located in ward 53, Bagmugaliya, Bhopal for discharging of untreated sewage on the land. The copy of letter issued to MPPCB advocate is enclosed as **Annexure II**.

Action Taken By BMC:-

- 3) Nagar Nigam, Bhopal has also issued letters and suspended the development permissions / building permissions of Prospera Multi Storied Building, Palmcrest, Priyadarshini Grah Nirman Sahakari Samiti, Gulabi Nagar Grah Nirman Sahakari Sansthan for disposal of untreated sewage water on land. The letters are enclosed as **Annexure III**.



20/2/2024

Brajesh Sharma
Regional Officer
MPPCB, Bhopal



20/2/2024

Prakamya Tiwari
AE (C)
RO, MPPCB, Bhopal



**REGIONAL OFFICE,
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD**
E-5 Paryavaran Parisar Arera Colony Bhopal – 462016



Telephone:- 0755-2466392 Email:- romppcb_bpl@rediffmail.com

No. 326 RO/MPPCB/ BPL/2024

Dated 16/02/2024

To

The Chairman,
Priyadarshini Grah Nirman Sahakari Samiti,
Ward No. 53, Bagmugaliya,
Bhopal, M.P.

Sub: - Imposition of Environment Compensation for the period 17.10.2023 to 27.12.2023 due to discharge of untreated sewage on to nearby land which is a violation under Water (Prevention and Control of Pollution) Act' 1974.

**Ref:- 1. Head Office order No. 198/legal/PCB/2023 Bhopal Dated 11.08.2023.
2. Hon'ble NGT OA No. 146/2023 order dated 04.01.2024.**

----00----

Whereas MP Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory body constituted under section 4 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and has been entrusted with the responsibilities of enforcement of the Environment Laws in the State.

Whereas, Regional Officer, MPPCB is authorized to impose environmental compensation vide above referred MPPCB, HO, Bhopal order no. 198 dated 11.08.2023.

Whereas, M/s Priyadarshini Residential Colony is a residential complex and located at Ward No. 53, Bagmugaliya Bhopal having Geographical location as latitude 23⁰11'31" and Longitude 77⁰28'16".

Whereas, the Joint Committee constituted by Hon'ble NGT as per order dated 17.10.2023 inspected the above colony on dated 20/12/2023 and observed following shortcomings: -

1. The sewer network is provided in the colony but not connected with septic tank.
2. Sewage from sewer line is discharging on vacant plots of the colony.

Whereas, the Joint Committee submitted the report before the Hon'ble NGT along with the assessment of Environmental Compensation of Rupees 7.34 Lakhs against the Priyadarshini Residential Colony for period from 17.10.2023 to 27.12.2023 as per the CPCB Guidelines.

Whereas, as per order dated 04.01.2024 in OA no.146/2023 (CZ) (Pratap VaareV/s State of M.P. &Ors.), Hon'ble NGT Zonal Bench, Bhopal has issued following instructions: -

4. State Pollution Control Board is directed to finalise the recommendations of the committee with regard to environmental compensation and report about the deposit of the environment compensation amount.

Whereas, as per the report submitted by the Joint Committee constituted by Hon'ble NGT 146/2023, it is evident that the septic tank is not operational and sewage water was flowing outside the premises and found accumulated on the adjacent plots and creating polluting conditions.

Therefore, you are liable to pay the Environmental Compensation to the tune of Rupees 7.34 Lakhs as proposed by the Joint Committee (Report enclosed). The Environment Compensation of Rs. 7.34 Lakhs shall be deposited in the account of Member Secretary, MPPCB Environment Protection Fund NGT Account No. 631000120000043, IFSC Code - PUNB0631000, Punjab National Bank, Bhopal.

You are hereby given an opportunity of 15 days to submit your reply/objections (if any) pertaining to the deposition of the levied environment compensation amount for the period of 17.10.2023 to 27.12.2023.

In case no reply is received within 15 days from the date of issue of this notice, above proposed environment compensation shall be confirmed and action is also liable to be initiated against the responsible persons under section-44 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act' 1974.

Kindly acknowledge the receipt of this letter.

**For and On Behalf of
M.P. Pollution Control Board**


**Regional Officer
MP Pollution Control Board
Bhopal (M.P.)**

Dated 16/02/2024

El.No. 3249 MPPCB/RO/BPL/2024
Copy To: -

1. The Member Secretary, MP Pollution Control Board, Bhopal (M.P.) for Information Please.
2. Director (Environment), (Technical Section), MPPCB, Bhopal (M.P.) for Information Please.
3. Director (Environment), (Legal Section), MPPCB, Bhopal (M.P.) for Information Please.


**Regional Officer
MP Pollution Control Board
Bhopal (M.P.)**



REGIONAL OFFICE,
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
E-5 Paryavaran Parisar Arera Colony Bhopal – 462016



Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

No. 326 RO/MPPCB/BPL/2024

Dated 16/02/2024

To

The President,
Gulabi Nagar Grah Nirman Sahakari Sansthan Ltd
C- 5, Gulabi Nagar, Near Krishna Market
80 feet Road, Bagmugaliya,
Bhopal, M.P.

Sub: - Imposition of Environment Compensation for the period 17.10.2023 to 27.12.2023 due to discharge of untreated sewage on to nearby land which is a violation under Water (Prevention and Control of Pollution) Act' 1974.

**Ref:- 1. Head Office order No. 198/legal/PCB/2023 Bhopal Dated 11.08.2023.
2. Hon'ble NGT OA No. 146/2023 order dated 04.01.2024.**

---00---

Whereas MP Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory body constituted under section 4 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and has been entrusted with the responsibilities of enforcement of the Environment Laws in the State.

Whereas, Regional Officer, MPPCB is authorized to impose environmental compensation vide above referred MPPCB, HO, Bhopal order no. 198 dated 11.08.2023.

Whereas, M/s Gulabi Nagar Residential Society is a residential colony and located at Ward No. 53, Bagmugaliya Bhopal having Geographical location as latitude 23⁰11'31" and Longitude 77⁰28'04".

Whereas, the Joint Committee constituted by Hon'ble NGT as per order dated 17.10.2023 inspected the above residential colony on dated 20/12/2023 and observed following shortcomings: -

1. A septic tank was provided but was not found in good conditions.
2. Untreated Sewage Water was found flowing outside the premises of the residential building and accumulating on the adjacent open plots.

Whereas, the Joint Committee submitted the report before the Hon'ble NGT along with the assessment of Environmental Compensation of Rupees 3.55 Lakhs against the Gulabi Nagar Residential Society for period from 17.10.2023 to 27.12.2023 as per the CPCB Guidelines.

Whereas, as per order dated 04.01.2024 in OA no.146/2023 (CZ) (Pratap Vaare V/s State of M.P. & Ors.), Hon'ble NGT Zonal Bench, Bhopal has issued following instructions:-

4. State Pollution Control Board is directed to finalise the recommendations of the committee with regard to environmental compensation and report about the deposit of the environment compensation amount.

Whereas, as per the report submitted by the Joint Committee constituted by Hon'ble NGT 146/2023, it is evident that the sewage from the colony was flowing outside the premises and found accumulated on the adjacent plots and creating polluting conditions.

Therefore, you are liable to pay the Environmental Compensation to the tune of Rupees 3.55 Lakhs as proposed by the Joint Committee (Report enclosed). The Environment Compensation of Rs. 3.55 Lakhs shall be deposited in the account of Member Secretary, MPPCB Environment Protection Fund NGT Account No. 631000120000043, IFSC Code - PUNB0631000, Punjab National Bank, Bhopal.

You are hereby given an opportunity of 15 days to submit your reply/objections (if any) pertaining to the deposition of the levied environment compensation amount for the period of 17.10.2023 to 27.12.2023.

In case no reply is received within 15 days from the date of issue of this notice, above proposed environment compensation shall be confirmed and action is also liable to be initiated against the responsible persons under section-44 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act' 1974.

Kindly acknowledge the receipt of this letter.

**For and On Behalf of
M.P. Pollution Control Board**


**Regional Officer
Regional Office,
MP Pollution Control Board
Bhopal (M.P.)**

Dated 10/2/2024

EL.No. 326/B MPPCB/RO/BPL/2024
Copy To: -

1. The Member Secretary, MP Pollution Control Board, Bhopal (M.P.) for Information Please.
2. Director (Environment), (Technical Section), MPPCB, Bhopal (M.P.) for Information Please.
3. Director (Environment), (Legal Section), MPPCB, Bhopal (M.P.) for Information Please.


**Regional Officer
Regional Office,
MP Pollution Control Board
Bhopal (M.P.)**



REGIONAL OFFICE,
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
E-5 Paryavaran Parisar Arera Colony Bhopal - 462016



Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

No. 325 A RO/MPPCB/ BPL/2024

Dated 16/02/2024

To

M/s Landmark Ventures Ltd,
The Prospera Multi Storied Building,
F-4/ R-28, Pursottam Eastend, Zone2,
M. P. Nager,
Bhopal, M.P.

Sub: - Imposition of Environment Compensation for the period 17.10.2023 to 27.12.2023 due to discharge of untreated sewage on to nearby land which is a violation under Water (Prevention and Control of Pollution) Act' 1974.

Ref:- 1.Head Office order No. 198/legal/PCB/2023 Bhopal Dated 11.08.2023.
2. Hon'ble NGT OA No. 146/2023 order dated 04.01.2024.

---00---

Whereas MP Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory body constituted under section 4 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and has been entrusted with the responsibilities of enforcement of the Environment Laws in the State.

Whereas, Regional Officer, MPPCB is authorized to impose environmental compensation vide above referred MPPCB, HO, Bhopal order no. 198 dated 11.08.2023.

Whereas, M/s Prospera Multi Storied Complex is a residential complex and located at Ward No. 53, Bagmugaliya Bhopal having Geo graphical location as latitude 23⁰11'32" and Longitude 77⁰28'19".

Whereas, the Joint Committee constituted by Hon'ble NGT as per order dated 17.10.2023 inspected the above residential complex on dated 20/12/2023 and observed following shortcomings:

1. STP was found in non-operating condition and Sewage collection tank of STP was found empty.
2. Untreated Sewage Water was found flowing outside the premises of Multi Storied Complex and accumulating on the adjacent open plots.

Whereas, the Joint Committee submitted the report before the Hon'ble NGT along with the assessment of Environmental Compensation of Rupees 8.45 Lakhs against the Prospera Multi Storied Building for period from 17.10.2023 to 27.12.2023 as per the CPCB Guidelines.

Whereas, on dated 04.01.2024 in OA no.146/2023 (CZ) (Pratap Vaare V/s State of M.P. & Ors.), Hon'ble NGT Zonal Bench, Bhopal has issued following instructions:-

4. State Pollution Control Board is directed to finalise the recommendations of the committee with regard to environmental

compensation and report about the deposit of the environment compensation amount.

Whereas, as per the report submitted by the Joint Committee constituted by Hon'ble NGT 146/2023, it is evident that the STP was not operational and the untreated sewage water was flowing outside the premises and found accumulated on the adjacent plots and creating polluting conditions.

Therefore, you are liable to pay the Environmental Compensation to the tune of Rs 8.45 Lakhs as proposed by the Joint Committee (Report enclosed). The Environment Compensation of Rs. 8.45 Lakhs shall be deposited in the account of Member Secretary, MPPCB Environment Protection Fund NGT Account No. 631000120000043, IFSC Code - PUNB0631000, Punjab National Bank, Bhopal.

You are hereby given an opportunity of 15 days to submit your reply/objections (if any) pertaining to the deposition of the levied environment compensation amount for the period of 17.10.2023 to 27.12.2023.

In case no reply is received within 15 days from the date of issue of this notice, above proposed environment compensation shall be confirmed and action is also liable to be initiated against the responsible persons under section-44 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act' 1974.

Kindly acknowledge the receipt of this letter.

**For and on Behalf of
M.P. Pollution Control Board**


**Regional Officer
Regional Office,
MP Pollution Control Board
Bhopal (M.P.)**

Dated 16/10/2024

El.No. 325 MPPCB/RO/BPL/2024

Copy To: -

1. The Member Secretary, MP Pollution Control Board, Bhopal (M.P.) for Information Please.
2. Director (Environment), (Technical Section), MPPCB, Bhopal (M.P.) for Information Please.
3. Director (Environment), (Legal Section), MPPCB, Bhopal (M.P.) for Information Please.


**Regional Officer
Regional Office,
MP Pollution Control Board
Bhopal (M.P.)**



REGIONAL OFFICE,
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
E-5 Paryavaran Parisar Arera Colony Bhopal – 462016



Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

No. 325 RO/MPPCB/ BPL/2024

Dated 16/02/2024

To

M/s Belief Buildcon,
Palmerest,
29, New Friends Colony
Chuna Bhatti, Kolar Road,
Bhopal, M.P.

Sub: - Imposition of Environment Compensation for the period 17.10.2023 to 27.12.2023 due to discharge of untreated sewage on to nearby land which is a violation under Water (Prevention and Control of Pollution) Act' 1974.

Ref:- 1. Head Office order No. 198/legal/PCB/2023 Bhopal Dated 11.08.2023.
2. Hon'ble NGT OA.No. 146/2023 order dated 04.01.2024.

---00---

Whereas MP Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory body constituted under section 4 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and has been entrusted with the responsibilities of enforcement of the Environment Laws in the State.

Whereas, Regional Officer, MPPCB is authorized to impose environmental compensation vide above referred MPPCB, HO, Bhopal order no. 198 dated 11.08.2023.

Whereas, M/s Palmcrest Multi Storied Complex is a residential complex and located at Ward No. 53, Bagmugaliya Bhopal having Geo graphical location as latitude 23°11'35'' and Longitude 77°28'17''.

Whereas, the Joint Committee constituted by Hon'ble NGT as per order dated 17.10.2023 inspected the above residential complex site on dated 20/12/2023 and observed following shortcomings: -

1. STP was found in non-operating condition.
2. Untreated sewage water was found flowing outside the premises of Multi Storied Complex and accumulating on the adjacent open plots.

Whereas, the Joint Committee submitted the report before the Hon'ble NGT along with the assessment of Environmental Compensation of Rs 3.55Lakhs against the Palmcrest Multi Storied Building for period from 17.10.2023 to 27.12.2023 as per the CPCB Guidelines.

Whereas, on dated 04.01.2024 in OA no.146/2023 (CZ) (Pratap VaareV/s State of M.P. &Ors.), Hon'ble NGT Zonal Bench, Bhopal has issued following instructions: -

4. State Pollution Control Board is directed to finalise the recommendations of the committee with regard to environmental compensation and report about the deposit of the environment compensation amount.

Whereas, as per the report submitted by the Joint Committee constituted by Hon'ble NGT 146/2023, it is evident that the STP was not operational and the untreated sewage water was flowing outside the premises and found accumulated on the adjacent plots and creating polluting conditions.

Therefore, you are liable to pay the Environmental Compensation to the tune of Rs 3.55Lakhs as proposed by the Joint Committee (Report enclosed). The Environment Compensation of Rs. 3.55Lakhs shall be deposited in the account of Member Secretary, MPPCB Environment Protection Fund NGT Account No. 631000120000043, IFSC Code - PUNB0631000, Punjab National Bank, Bhopal.

You are hereby given an opportunity of 15 days to submit your reply/objections (if any) pertaining to the deposition of the levied environment compensation amount for the period of 17.10.2023 to 27.12.2023.

In case no reply is received within 15 days from the date of issue of this notice, above proposed environment compensation shall be confirmed and action is also liable to be initiated against the responsible persons under section-44 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act' 1974.

Kindly acknowledge the receipt of this letter.

**For and On Behalf of
M.P. Pollution Control Board**


**Regional Officer
Regional Office,
MP Pollution Control Board
Bhopal (M.P.)**

Dated 16/10/2024

El.No. 325 MPPCB/RO/BPL/2024
Copy To: -

1. The Member Secretary, MP Pollution Control Board, Bhopal (M.P.) for Information Please.
2. Director (Environment), (Technical Section), MPPCB, Bhopal (M.P.) for Information Please.
3. Director (Environment), (Legal Section), MPPCB, Bhopal (M.P.) for Information Please.


**Regional Officer
Regional Office,
MP Pollution Control Board
Bhopal (M.P.)**



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल



Annexure II

Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 306 /क्षेका/प्रनिबो/2024

भोपाल, दिनांक 14 / 02 / 2024

प्रति,

श्री रोहित शर्मा,
अधिवक्ता,
ई-5/43, अरेरा कालोनी,
भोपाल (म.प्र.)।

विषय:- माननीय न्यायालय सी.जे.एम.कोर्ट भोपाल में वाद दायर करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत बोर्ड मुख्यालय भोपाल के पत्र क्र 211 दिनांक 15.01.2024 के माध्यम से 04 बिल्डिंग प्रोजेक्ट के संचालकों पर मान. न्यायालय सी.जे.एम कोर्ट भोपाल में वाद दायर करने की अनुमति प्राप्त हुई है। मुख्यालय के पत्र की प्रति संलग्न है। विवरण निम्नानुसार है :-

1. मेसर्स लैण्डमार्क वेन्चर्स लि.-द प्रोसपेरा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एफ-4/आर-28, पुरुषोत्तम ईस्टंड, जोन-2, एम.पी.नगर, भोपाल।
2. मेसर्स प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सहकारी समिति, प्रियदर्शिनी कॉलोनी, वार्ड न. 53, बाग मुगालिया भोपाल।
3. मेसर्स गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारी संस्थान लि. रेसीडेंसियल सोसायटी, सी-5, गुलाबी नगर, नीयर कृष्णा मार्केट, 80 फीट रोड, बाग मुगालिया भोपाल।
4. मेसर्स बीलाईफ बिल्डकॉन, पामक्रेस्ट मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, 29, न्यू फ्रेण्ड्स कालोनी, चूना भट्टी रोड, भोपाल।

उपरोक्तानुसार बिल्डिंग प्रोजेक्ट के संचालकों पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43 व 44 के अन्तर्गत न्यायालयीन वाद दायर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। लेख है कि माननीय एन.जी.टी. (CZ) के प्रकरण क्रमांक 146/2023 (प्रताप वारे विरुद्ध म.प्र. शासन) में दिनांक 04.01.2024 अनुसार गठित संयुक्त समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.12.2023 संलग्न है।

संलग्न- प्रकरणों से संबंधित दस्तावेज।

(बृजेश शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

७८



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ, शाहपुरा

Annexure III

क्र...../का.प्रको./2024

भोपाल दिनांक/...../2024

प्रति,

मेसर्स लेण्डमार्क वेंचर्स लिमिटेड,
(दी प्रोसपेरा कॉलोनी)

एफ-4/आर-28, पुरुषोत्तम ईस्टएंड, जोन-2, एम.पी.नगर, भोपाल



विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बैंच, भोपाल प्रकरण कं ओ.ए. नं. 146/2023(सी.जेड) प्रताप वारे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य के संबंध में (मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में गंदा पानी/सीवेज खुले में छोड़ना/बाग सेवनियां वार्ड-53 जोन 13)

संदर्भ: अपर आयुक्त (विधि) नगर पालिक निगम, भोपाल का पत्र कं 104/वि.वि./2023 भोपाल दिनांक-14.11.2023, रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बैंच, भोपाल द्वारा प्रेषित सूचना पत्र कं.214 दिनांक-31.10.2023 एवं इस कार्यालय द्वारा सूचना पत्र 1298 दिनांक 20/11/2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि ग्राम बागमुगलिया स्थित भूमि खसरा कं. 270/1/1-271, 270/1/2-271, 270/1/3-271, एवं 270/1/4-271 कुल रकबा 0.632 हेक्टेयर पर बहुइकाई आवासीय विकास हेतु नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमति कं.112दिनांक-04.02.2015 के अनुसार नगर निगम द्वारा मध्यप्रदेश कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें 1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत विकास अनुमति कं. 858 दिनांक-12.08.2015 जारी की गई थी, इस कार्यालय द्वारा जारी विकास अनुमति की शर्त कं. 06 एवं नगर तथा निवेश द्वारा दी गई अनुमति की शर्त कं. 9 के अनुसार मध्यप्रदेश कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें 1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियम 2 के अन्तर्गत आंतरिक विकास कार्य जल-मल निकास एवं एस.टी.पी. का निर्माण कॉलोनाईजर को अनिवार्य रूप से किया जाना था, जो कि कॉलोनाईजर द्वारा व्यवस्थित रूप से न करते हुए गंदा पानी की उचित व्यवस्था नहीं की गई।

अतः मध्यप्रदेश कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें 1998 के प्रावधानों अन्तर्गत आंतरिक विकास कार्य (जल-मल निकास की उचित व्यवस्था) एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बैंच, भोपाल प्रकरण कं ओ.ए. नं. 146/2023(सी.जेड) प्रताप वारे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य दर्ज प्रकरण अनुसार द्वारा प्रश्नाधीन कॉलोनी में सीवेज के गंदे पानी को खुली भूमि/अन्य की भूमि पर छोड़ा नहीं जाकर नियमानुसार उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक सीवेज के गंदे पानी की निकासी हेतु व्यवस्था नहीं की गई है। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन के फलस्वरूप आपको जारी विकास अनुमति आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है।

मुख्य नगर निवेशक

नगर पालिक निगम, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29/11/2024

पृष्ठा. क्रमांक 75/का.प्रको./2024

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि पर्यावरण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम एवं अन्य नियमों/अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, सीवेज प्रकोष्ठ/यांत्रिकी प्रकोष्ठ, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर प्रश्नाधीन कॉलोनीयों के सीवेज जल निस्तारण से संबंधी कोई योजना आदि प्रस्तावित हो तो उसकी जानकारी मय दस्तावेजों के अतिशीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सहायक यंत्री, जोन क्र. 13, भवन अनुज्ञा शाखा, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर संबंधित के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करने बावत्।

मुख्य नगर निवेशक

नगर पालिक निगम, भोपाल

AECC

04042024




कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ, शाहपुरा

क्र...../का.प्रको./2024
प्रति,

भोपाल दिनांक/...../2024

अध्यक्ष,
(प्रियदर्शिनी कॉलोनी)
प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सहकारी समिति,
बागमुगलिया, भोपाल



विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बैंच, भोपाल प्रकरण कं ओ.ए. नं. 146/2023(सी.जेड) प्रताप वारे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य के संबंध में (मस्ती स्टोरी बिल्डिंग में गंदा पानी/सीवेज खुले में छोड़ना/बाग सेवनियां वार्ड-53 जाम 13)

संदर्भ: अपर आयुक्त (विधि) नगर पालिक निगम, भोपाल का पत्र कं 104/वि.वि./2023 भोपाल दिनांक-14.11.2023, रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बैंच, भोपाल द्वारा प्रेषित सूचना पत्र कं.214 दिनांक-31.10.2023 एवं इस कार्यालय द्वारा सूचना पत्र 1302 दिनांक 20/11/2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि ग्राम बागमुगलिया स्थित भूमि खसरा कं. 374/1/6/6, 374/1/6/2, 379, 26/6/1, 266/1/2, 267, 268, 347, 466, 467, 469, 476 रकबा 24.35 एकड़ पर भूखण्डीय विकास हेतु नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमति कं.1126 दिनांक-23.03.2000 के अनुसार नगर निगम द्वारा मध्यप्रदेश कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें 1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत विकास अनुमति कं. 64 दिनांक-24.04.2000 जारी की गई थी, जारी विकास अनुमति एवं नगर तथा निवेश द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों के अनुसार मध्यप्रदेश कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें 1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियम 2 के अन्तर्गत आंतरिक विकास कार्य जल-मल निकास एवं एस.टी.पी. का निर्माण कॉलोनाईजर को अनिवार्य रूप से किया जाना था, जो कि कॉलोनाईजर द्वारा व्यवस्थित रूप से न करते हुए गंदा पानी की उचित व्यवस्था नहीं की गई ।

अतः मध्यप्रदेश कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें 1998 के प्रावधानों अन्तर्गत आंतरिक विकास कार्य (जल-मल निकास की उचित व्यवस्था) एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बैंच, भोपाल प्रकरण कं ओ.ए. नं. 146/2023(सी.जेड) प्रताप वारे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य दर्ज प्रकरण अनुसार द्वारा प्रश्नाधीन कॉलोनी में सीवेज के गंदे पानी को खुली भूमि/अन्य की भूमि पर छोड़ा नहीं जाकर नियमानुसार उचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करने हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक सीवेज के गंदे पानी की निकासी हेतु व्यवस्था नहीं की गई है। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रश्नाधीन कालोनी की भवन अनुमति पर आगामी आदेश तक रोक लगाई जाती है।

मुख्य नगर निवेशक

नगर पालिक निगम, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25/11/2024

पृष्ठा. कमांक.../का.प्रको./2024
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल की ओरनिजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि पर्यावरण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम एवं अन्य नियमों/अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, सीवेज प्रकोष्ठ/यांत्रिकी प्रकोष्ठ, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर प्रश्नाधीन कॉलोनियों के सीवेज जल निस्तारण से संबंधी कोई योजना आदि प्रस्तावित हो तो उसकी जानकारी मय दस्तावेजों के अतिशीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सहायक यंत्री, जोन क्र. 13, भवन अनुज्ञा शाखा, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर संबंधित के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करने बावत्।
6. टीम लीडर, डी.सी.आर. सेल, AB PASS-2 की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं प्रायवेट अधिकृत आर्किटेक्ट को इस संबंध में सूचित करने बावत्।

मुख्य नगर निवेशक

नगर पालिक निगम, भोपाल

BE CC)
B
04/11/24



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ, शाहपुरा

क्र...../का.प्रको./2024

भोपाल दिनांक/...../2024

प्रति,

मेसर्स बिलीफ बिल्डकॉन,
(पाम कस्ट)
29, न्यू फेण्डस कॉलोनी, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल



विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बैंच, भोपाल प्रकरण कं ओ.ए. नं. 146/2023(सी.जेड) प्रताप वारे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य के संबंध में (मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में गंदा पानी/सीवेज खुले में छोड़ना/बाग सेवनियां वार्ड-53 जोन-113)

संदर्भ: अपर आयुक्त (विधि) नगर पालिक निगम, भोपाल का पत्र कं 104/वि.वि./2023 भोपाल दिनांक-14.11.2023, रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बैंच, भोपाल द्वारा प्रेषित सूचना पत्र कं.214 दिनांक-31.10.2023 एवं इस कार्यालय द्वारा सूचना पत्र क्र. 1306 दिनांक 20/11/2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि ग्राम बागमुगलिया स्थित भूमि खसरा कं. 261/2 कुल रकबा 0.178 हेक्टेयर पर बहुइकाई आवासीय विकास हेतु नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमति कं. 1026 दिनांक-03.06.2013 के अनुसार नगर निगम द्वारा मध्यप्रदेश कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें 1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत विकास अनुमति कं. 719 दिनांक-20.09.2013 जारी की गई थी,

इस कार्यालय द्वारा जारी विकास अनुमति की शर्त कं. 6 एवं नगर तथा निवेश द्वारा दी गई अनुमति की शर्त कं. 4 के अनुसार मध्यप्रदेश कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें 1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियम 2 के अन्तर्गत आंतरिक विकास कार्य जल-मल निकास एवं एस.टी.पी. का निर्माण कॉलोनाईजर को अनिवार्य रूप से किया जाना था, जो कि कॉलोनाईजर द्वारा व्यवस्थित रूप से न करते हुए गंदा पानी की उचित व्यवस्था नहीं की गई।

अतः मध्यप्रदेश कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें 1998 के प्रावधानों अन्तर्गत आंतरिक विकास कार्य (जल-मल निकास की उचित व्यवस्था) एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बैंच, भोपाल प्रकरण कं ओ.ए. नं. 146/2023(सी.जेड) प्रताप वारे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य दर्ज प्रकरण अनुसार द्वारा प्रश्नाधीन कॉलोनी में सीवेज के गंदे पानी को खुली भूमि/अन्य की भूमि पर छोड़ा नहीं जाकर नियमानुसार उचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करने हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक सीवेज के गंदे पानी की निकासी हेतु व्यवस्था नहीं की गई है। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन के फलस्वरूप आपको जारी विकास अनुमति आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है।

मुख्य नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24/01/2024

पृष्ठा. कमांक 69/का.प्रको./2024

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि पर्यावरण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम एवं अन्य नियमों/अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, सीवेज प्रकोष्ठ/यांत्रिकी प्रकोष्ठ, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर प्रश्नाधीन कॉलोनीयों के सीवेज जल निस्तारण से संबंधी कोई योजना आदि प्रस्तावित हो तो उसकी जानकारी मय दस्तावेजों के अतिशीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सहायक यंत्री, जोन क्र. 13, भवन अनुज्ञा शाखा, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर संबंधित के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करने बावत्।

मुख्य नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, भोपाल

AE (C)

02/02/2024



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ, शाहपुरा

क्र. / का.प्रको. / 2024
प्रति,

भोपाल दिनांक / 2024.

प्रशासक
गुलाबी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
ग्राम बाग सेवनियां, भोपाल



विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल प्रकरण के ओ.ए.नं. 146/2023 (सी.जेड.) प्रताप वारे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य के संबंध में (मन्टी स्टोरी बिल्डिंग में गंदा पानी/सीवेज खुले में छोड़ना/बाग सेवनियां वाड-53 जॉन 13)

संदर्भ :- अपर आयुक्त (विधि) नगर पालिक निगम, भोपाल का पत्र कं 104/वि.वि./2023 भोपाल दिनांक-14.11.2023, रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा प्रेषित सूचना पत्र कं.214 दिनांक-31.10.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम बाग सेवनियां स्थित भूमि खसरा क्रमांक 284/1/1/क, 284/1/1/ख कुल रकबा 7.30 एकड़ पर प्रशासकीय संकल्प क्र. 1030 दिनांक 18/08/2021 के आधार पर आयुक्त महोदय द्वारा जारी स्थाई आदेश क्र. 09 दिनांक 31/08/2021 अनुसार कालोनी के समस्त भूखण्डों पर प्रति वर्गफीट रु. 35/- की दर से विकास शुल्क अधिरोपित किया गया था। उक्त विकास शुल्क के आधार पर प्रश्नाधीन कालोनी के शेष विकास कार्य नगर निगम भोपाल द्वारा किया जाना था। जिसके संबंध में संदर्भित कार्यालयीन पत्र क्र. 118 दिनांक 30/11/2023 के माध्यम से आपको सूचित किया गया था कि समस्त भूखण्ड धारकों से नगर निगम भोपाल में विकास शुल्क जमा करवायें, किन्तु आज दिनांक तक भूखण्ड धारकों द्वारा निर्धारित विकास शुल्क जमा नहीं किया गया है जिसके कारण कालोनी के शेष विकास कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.ए. नं. 146/2023 (सी.जेड.) प्रताप वारे विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 17.10.2023 पारित कर कलेक्टर महोदय एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दो सदस्यीय जाँच समिति गठित कर स्थल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था। जिसके पालनार्थ जाँच समिति द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार प्रश्नाधीन कालोनियों में स्थापित एस.टी.पी./सेप्टिक टैंक का नियमित संचालन एवं साफ सफाई नहीं की जा रही है एवं सीवेज का खूली भूमि में निस्तारण किया जा रहा है। अतः प्रश्नाधीन कालोनी में प्रश्नाधीन कालोनी की भवन अनुमति पर आगामी आदेश तक रोक लगाई जाती है।

अतः प्रकरण में संयुक्त समिति की स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न कर, आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य नगर निवेशक
नगर पालिक निगम भोपाल

भोपाल, दिनांक 24/11/2024

पू.क्रमांक 88/ का.प्रको. / 2024

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त महोदय, की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. ✓ क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि पर्यावरण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम एवं अन्य नियमों/अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, सीवेज प्रकोष्ठ/यांत्रिकी प्रकोष्ठ, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर प्रश्नाधीन कॉलोनियों के सीवेज जल निस्तारण से संबंधी कोई योजना आदि प्रस्तावित हो तो उसकी जानकारी मय दस्तावेजों के अतिशीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सहायक यंत्री, जोन क्र. 13, भवन अनुज्ञा शाखा, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर संबंधित के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करने बावत्।
6. टीम लीडर, डी.सी.आर. सेल, AB PASS-2 की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं प्रायवेट अधिकृत आर्किटेक्ट को इस संबंध में सूचित करने बावत्।

मुख्य नगर निवेशक
नगर पालिक निगम भोपाल

AKC/1

02/11/2024